प्रश्न सं. [क्र. 2163]

परिशिष्ट

विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक–2163 सदन में उत्तर का दिनांक 2/3/2021

प्रश्नांश–क

विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी –

1.– **मुख्यमंत्री स्व–रोजगार योजना**

योजना के अंतर्गत हाथकरघा बुनकरों एवं शिल्पियों को रोजगार स्थापित किये जाने हेतु राशि रूपये 10.00 लाख तक के परियोजनाओं में बैकों द्वारा ऋण स्वीकृत किये जाने पर सामान्य वर्ग के पुरूष हितग्राहियों को स्वीकृत ऋण पर 15 प्रतिशत अनुदान (अधिकतम 1.00 लाख) एवं बी.पी.एल./अ.जा./अ.ज.जा./अन्य पिछडा वर्ग/महिला/अल्पसंख्यक/निःशक्तजन के लिये बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण पर 30 प्रतिशत अनुदान (अधिकतम 2.00 लाख) दिये जाने का प्रावधान है, साथ ही योजना में समस्त वर्गो के हितग्राहियों को स्वीकृत बैंक ऋण पर 5 प्रतिशत एवं महिला हितग्राहियों को 6 प्रतिशत ब्याज अनुदान (अधिकतम 25 हजार रूपये प्रतिवर्ष) आगामी 7 वर्ष तक दिये जाने का प्रावधान है।

2.– **मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना**

मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के अंतर्गत प्रदेश के हाथकरघा एवं हस्तशिल्प क्षेत्र में कार्यरत बुनकर/शिल्पियों को स्व–रोजगार स्थापित करने हेतु राशि रूपये 50 हजार तक की सहायता बैकों के माध्यम से ऋण के रूप में स्वीकृत किए जाने का प्रावधान है। आवेदक पी.डी.एस. कार्ड धारक होना अनिवार्य होगा। आवेदन दिनांक को हितग्राही की आयु सीमा 18 से 55 वर्ष के मध्य हो। इस योजना में परियोजना लागत पर सामान्य वर्ग को 15 प्रतिशत तथा बी.पी.एल./अ.जा./अ.ज.जा./अन्य पिछडा वर्ग/महिला/अल्पसंख्यक/निःशक्तजन/विमुक्त घुम्मकड एवं अर्द्ध घुम्मकड जाति को 50 प्रतिशत अधिकतम रूपये 15,000 मार्जिन मनी सहायता दिए जाने का प्रावधान है।

letter अनुभाग अधिकारी
म. प्र. शासन
कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग
मंत्रालय, भोपाल

3- टसर रेशम विकास एंव विस्तार कार्यक्रम

- प्रदेश के 15 जिलों मे टसर रेशम कृमिपालन का कार्य शासकीय टसर केन्द्रों एंव नैसर्गिक रूप से उपलब्ध वन खण्डों में अर्जुन/साज के वृक्षों पर में किया जाता है ।
  कृमिपालन का कार्य मुख्यरूप से ग्रामीण एंव आदिवासी क्षेत्रों मे विशेषकर महिलाओं द्वारा किया जा रहा है । एक वर्ष मे टसर कृमिपालन की 02 फसले होती है ।
- टसर कृमिपालक को एक हेक्टर अर्जुन/साज वृक्षों का क्षेत्र रेशम कृमिपालन कार्य के लिए उपलब्ध कराया जाता है जिसमे लगभग 2500 वृक्षों पर 200 स्वस्थ समूहों का कृमिपालन कर लगभग 4000 से 5000 नग संख्या मे ककून उत्पादन किया जाता है। उक्त उत्पादित ककून को म0प्र0 सिल्क फेडरेशन द्वारा गुणवत्ता के आधार पर अनुमानित 1.00 रूपये से 1.75 प्रति ककून के मान से कय किया जाता है, जिससे हितग्राही को 7000 से 8750 रूपये की आय प्रति फसल प्राप्त होती है ।
- केन्द्रीय रेशम बोर्ड बैंगलोर से 12/– रूपये के मान से स्वस्थ्य समूह को कय कर 01/–रूपये प्रति स्वस्थ्य समूह संचालनालय द्वारा हितग्राहियों को रियायती दर पर उपलब्ध कराये जाते है।
- टसर कृमिपालकों को विसंक्रमण सामग्री हेतु 1800/–रूपये प्रोत्साहन राशि ककून उत्पादकता अनुसार के रूप मे प्रदत्त की जाती है ।

(सुनील श्रीवास्तव) 18/4/14
फील्ड आफीसर
रेशम संचालनालय भोपाल

अनुभाग अधिकारी
म. प्र. शासन
कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग
मंत्रालय, भोपाल